78

अनुमोदन हेतु प्रारूप

पत्रांक–

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 2386 ग्रा.वि.पटना दिनांक– 26/5/05

ग्रा.वि.–1 / ई.आ.यो.(ग्रा.नि.)–06 / 2004

प्रेषक,

के.ए.एच.सुब्रमणियन,
मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः– इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका के कंडिका 4.4.1 में संशोधन के आलोक में आपदा प्रभावित परिवारों को यथाशीघ्र इन्दिरा आवास उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय में कहना है कि आप अवगत हैं कि इंदिरा आवास की मार्गदर्शिका की कंडिका 4.4.1 में निहित प्रावधान के अनुसार प्राकृतिक आपदा तथा आकस्मिक परिस्थिति यथा दंगा, खून–खराबा, आगजनी आदि जैसे परिस्थिति विशेष से प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के स्तर पर इंदिरा आवास योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य का 5 प्रतिशत निधि कर्णांकित रहता है । इस कर्णांकित निधि से राशि की विमुक्ति प्रत्येक जिला को 50.00 लाख (पचास लाख) रुपये की सीमा तक जिला से प्राप्त प्रस्ताव विभागीय अनुशंसा के साथ भारत सरकार को प्रेषित किये जाने पर किया जाता था तथा भारत सरकार से राशि की विमुक्ति के पश्चात् देय अनुपातिक राज्यांश की विमुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती थी ।

उपरोक्त जटिल प्रक्रिया को देखते हुये तथा प्रभावित परिवारों को तुरत राहत पहुँचाने के उद्देश्य से भारत सरकार के पत्रांक–एच.–11011/6/2004–आर.एच.(पी.) दिनांक–15.04.2005 (प्रति संलग्न) द्वारा मार्गदर्शिका की कंडिका 4.4.1 में संशोधन करते हुये जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है कि जिला स्तर पर इंदिरा आवास योजना (केन्द्रांश एवं राज्यांश सहित) अथवा अन्य स्रोत की उपलब्ध राशि से ऐसे पीड़ित परिवारों के क्षतिग्रस्त मकानों का निर्माण कराकर उन्हें पुनर्वासित करें । इस निमित्त